विज्ञापन सं. 14/2020

संघ लोक सेवा आयोग

(वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से*) निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित करता है ।

<u>रिक्ति विवरण</u>

1. **(रिक्ति सं. 20111401114)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड-III के पद के लिए सत्रह रिक्तियां, **(अ.जा.-01, अ.ज.जा.-02, अ.पि.व.-04, अनारक्षित-10) (दिव्यांग*-01)** सत्रह रिक्तियों में से एक रिक्ति अक्षमता अर्थात् अल्पदृष्टि **(एलवी)** से प्रभावित शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित है । यह पद अक्षमता अर्थात् अल्पदृष्टि (**एलवी)** या ऊंचा सुनना **(एचएच)** या चलने में असमर्थ अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (**बी.एल**.) या एक पैर प्रभावित **(दायां या बायां) (ओ एल)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एल सी)** या बौनापन **(डी डब्ल्यू)** या तेजाबी हमले के शिकार **(एएवी)** या मांसपेशीय कुपोषण **(एम डी वाई)** या बहुविध अक्षमताओं **(एम डी**) से प्रभावित शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए भी उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **वेतनमान** : प्रै.नि.भ. सहित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उप-संवर्ग, समूह "क"। **आयु** : 40 वर्ष । **<u>अनिवार्य योग्यता : (क) शैक्षिक</u>** : (i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित (लाइसेंसधारी योग्यताओं को छोड़कर) मान्यताप्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित शैक्षिक योग्यताधारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा । (ii) अनुसूची VI की धारा क या धारा ख में उल्लिखित संबंधित विशेषज्ञता या उच्च विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष अर्थात् डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सामाजिक एवं निवारक मेडिसिन) या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सामुदायिक चिकित्सा) या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (स्वास्थ्य प्रशासन) या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (सामाजिक एवं निवारक मेडिसिन) या राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (सामुदायिक चिकित्सा) या राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (स्वास्थ्य प्रशासन) या राजनयिक राष्ट्रीय बोर्ड (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन) या जन स्वास्थ्य में तीन वर्ष की मास्टर या जन स्वास्थ्य में डिप्लोमा या औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा या ट्रोपिकल चिकित्सा में डिप्लोमा या ट्रॉपिकल चिकित्सा और स्वच्छता में डिप्लोमा ।

(**ख) : अनुभव** : प्रथम स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विशेषज्ञता में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञता में 05 वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी-I** : किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में शामिल किया गया या हटा दिया गया हो, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या जिसकी मान्यता वापस ले ली गई हो, के परिणामस्वरूप अनुसूची-VI में तदनुसार शामिल किया हुआ या हटाया गया माना जाएगा । **टिप्पणी-II** : भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यताएं अनुसूची-VI के प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूचियों में अनिवार्यतः सम्मिलित की गई हो । **टिप्पणी- III** : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण संबंधी निर्णायक तारीख होगी । **टिप्पणी-IV** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी-V** : अ.जा. तथा अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **कार्य** : (i) संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए अध्ययन और फील्ड जांच आयोजित करना । (ii) संस्थान द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना । (iii) प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना । **मुख्यालय**: भारत में कही भी । **कोई अन्य शर्त** : सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 तथा विशेष रूप से समय-समय पर लागू अन्य नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी (क) किसी भी परामर्शी तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस, चाहे जो भी हो, करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । (ख) चुने गए उम्मीदवार को, आवश्यकता पड़ने पर भारत की किसी भी रक्षा सेवा या रक्षा से संबद्ध किसी भी पद पर कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना पड़ सकता है, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई है, भी सम्मिलित है, किन्तु ऐसे अधिकारी को (क) सेवा में नियुक्ति या सेवा ग्रहण करने की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद, पूर्वोक्त पद पर कार्य नहीं करना पड़ेगा (ख) उसे 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद साधारणतया पूर्वोक्त पद पर कार्य नहीं करना पड़ेगा ।

2. **(रिक्ति सं. 20111402114)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक प्रोफेसर / वरिष्ठ अनुशिक्षक (ट्यूटर) के पद के लिए एक रिक्ति **(अ.ज.जा.-01)** । यह पद स्थायी है । वेतनमान : प्रै.नि.भ.सहित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 । सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय । आयु : 40* वर्ष । **<u>अनिवार्य योगयता : (क) : शैक्षिक</u>** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में मास्टर डिग्री या समकक्ष । (ii) पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ । **<u>(ख) : अनुभव</u> :** नर्सिंग में लगभग 05 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 03 वर्ष या तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण या नर्सिंग सेवा में होना चाहिए । (सुपुर्द कर्तव्यों की प्रकृति के अनुसार) । **<u>टिप्पणी-I</u>** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **<u>टिप्पणी- II</u>** : अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **<u>टिप्पणी-</u>** <u>III</u> : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण संबंधी निर्णायक तारीख होगी । **<u>कार्य</u> :** (i) नैदानिक नर्सिंग / शिक्षा / प्रशासन के पाठ्यक्रमों में शिक्षण और पर्यवेक्षण । स्टाफ और छात्रों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना । (ii) कार्यों की प्रकृति में प्रशासनिक, पर्यवेक्षणिक तथा अनुसंधान कार्य शामिल हैं । **<u>मुख्यालय</u>** : नई दिल्ली ।

3. **(रिक्ति सं. 20111403114)** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के फरक्का बैराज परियोजना में चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए दो रिक्तियां **(अ.जा.-01, अनारक्षित-01)**। पद शारीरिक अक्षमता अर्थात् चलने में असमर्थ जैसे एक पैर प्रभावित **(दायां या बायां) (ओ.एल.)** या एक हाथ प्रभावित **(दायां या बायां) (ओ.ए.)** वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **<u>वेतनमान</u>** : प्रै.नि.भ. सहित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 । सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 35 वर्ष । **<u>अनिवार्य योग्यता : (क) : शैक्षिक</u>** : भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची (लाइसेंसधारी

योग्यताओं को छोड़कर) में शामिल मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता । तृतीय अनुसूची के भाग-II में सम्मिलित चिकित्सा योग्यताधारकों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना होगा । **(ख) : अनुभव :** दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव । **टिप्पणी-I** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी- II** : अ.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर, संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी-** III : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख होगी । **कार्य :** पद की सेवाएं फरक्का बैराज परियोजना अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले बाहरी और इनडोर रोगियों के लिए जिम्मेदार है । **मुख्यालय** : फरक्का बैराज परियोजना ।

4. **(रिक्ति सं. 20111404114)** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के फरक्का बैराज परियोजना में स्टाफ नर्स के पद के लिए दो रिक्तियां **(अ.जा.-01, अना.-01)**। पद स्थायी हैं । **वेतनमान**: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 । सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 30 वर्ष । **अनिवार्य योग्यता : शैक्षिक** : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में डिग्री या सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में ग्रेड-ए (तीन वर्षीय) डिप्लोमा / प्रमाणपत्र । (iii) भारतीय / राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकृत हो । **टिप्पणी-I** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी- II** : अ.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर, संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग

के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **<u>टिप्पणी- III</u>** : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख होगी । **<u>कार्य</u> :** (i) वह वार्ड सिस्टर के साथ परामर्श करके सभी रोगियों के लिए नर्सिंग देखभाल योजना बनाएगी तथा वार्ड में रोगियों के जरूरतों का आकलन करेगी । (ii) वह सीधे रोगी की देखभाल (बिस्तर तैयार करना, चादर बदलना, मुंह की देखभाल, पीठ की देखभाल, बिस्तर पर स्नान, बाल धोना, जगह बदलना आदि करेगी और वार्ड सिस्टर द्वारा उसे आबंटित कार्य । (iii) वह रोगियों की सभी मूलभूत जरूरत (स्वच्छता आवश्यकता, पोषक तत्वों की जरूरत आदि) को पूरा करेगी । (iv) वह रोगी को आराम संबंधी सुविधा देगी तथा रोगी की सुरक्षा बनाए रखेंगी । (v) वह रोगी (बिस्तर से बिस्तर), उपकरण की आपूर्ति, दवा आदि के बारे में पिछली पाली की ड्यूटी नर्स से कार्यभार संभालेगी और उसे अगली पाली को सौंप देंगी । **<u>मुख्यालय</u>** : फरक्का बैराज परियोजना ।

5. (रिक्ति सं. 20111405414) पर्यटन मंत्रालय में सहायक निदेशक की तेरह रिक्तियां **(अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.02, ईडब्ल्यू एस-01, अनारक्षित 08) (दिव्यांग* 01)**। *तेरह रिक्तियों में से एक रिक्ति अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन **(बी)** या अल्पदृष्टि **(एलवी)** से प्रभावित शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित है । ये पद शारीरिक अक्षमता अर्थात दृष्टिहीन **(बी)** या अल्पदृष्टि **(एलवी)** या बधिर **(डी.)** या ऊंचा सुनना **(एचएच)** या चलने में असमर्थ अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बी.एल.)** या दोनों हाथ प्रभावित **(बी ए)** या एक पैर प्रभावित **(दायां या बायां) (ओ एल) या** एक हाथ प्रभावित **(ओ ए)** या अकड़न पीठ और कुल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते) **(बी.एच.)** या दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित **(बी एल ए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओ.एल.ए.)** या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **(सी पी)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एल सी)** या बौनापन **(डी डब्ल्यू)** या तेजाबी हमले के शिकार **(एएवी)** या मांसपेशीय कुपोषण **(एम डी वाई)** या विशिष्ट लर्निंग अक्षमता **(एस.एल.डी.)** या बहुविध अक्षमताओं **(एम डी**) से प्रभावित शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए भी उपयुक्त हैं । पद स्थायी हैं । **<u>वेतनमान</u>**: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 । सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय । **आयु** : 30 वर्ष । **<u>अनिवार्य योग्यता : (क) : शैक्षिक</u>** : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री । **(ख) अनुभव :** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत संगठन या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान या सूचीबद्ध निजी संगठनों में पर्यटन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में दो वर्ष के

अनुभव सहित जनसंपर्क या प्रचार या प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** कम से कम छः महीने की अवधि के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी को छोड़कर) का डिप्लोमा या प्रमाणपत्र । **टिप्पणी-I** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी- II** : अ.जा. या अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इन समुदायों से उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है । **कार्य :** भारतीय पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देना एवं प्रचार और प्रसार, पर्यटन मंत्रालय के नीतिगत मामलों को देखना, राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त पर्यटन विकास प्रस्तावों के प्रक्रियाबद्ध करना, पर्यटन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों पर कार्य करना, मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल / आतिथ्य मेहमानों के दौरों को सुविधाजनक बनाना, पर्यटन प्रोत्साहन गतिविधियों में उपस्थित होना और उनका आयोजन करना । **मुख्यालय** : यातायात भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

(महत्वपूर्ण)
ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 03.12.2020 को 23.59 बजे तक है ।
पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 04.12.2020 को 23.59 बजे तक है ।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) *मद सं 2* के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है । सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है । अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें ।

(ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता / करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) दिव्यांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अक्षम उम्मीदवार, रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अत: शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो और पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होगीं जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो और पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

(ड़) **मुख्यालय** : पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी ।

(च) **परिवीक्षा** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यत: या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर

आया है। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे ।

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश **देखें।**

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हैं। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) "वांछनीय योग्यता (डी.क्यू.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है"।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ.) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षण आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./आिर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि.-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षण (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात 'भर्ती परीक्षण' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 25/- रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी ।

(ख) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा । सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा ।

(ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा । इस प्रकार के निरसन के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) **एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.**

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई

दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त

अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, बंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है । (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष तथा आयु में 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनके संबंधित श्रेणितयों से है । उसी प्रकार अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है । जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है । यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवहार्य होगा जिन्होंने केन्द्र सरकार में तीन वर्षों की लगातार सेवा की हो तथा उन पद पर कार्य कर रहे हों जो समकक्ष अथवा संबद्ध संवर्ग में हो तथा तहां संबद्ध स्थापित किया जा सके कि उस विशेष पद पर पहले ही दी गई सेवा उस पद की ड्यूटियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में लाभकारी होगा जिसकी भर्ती की जा रही हो । इस संबंध में आयोग का निर्णय मान्य होगा । वे उम्मीदवार जो इस पैरे के अंतर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस **विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद** अपने नियोक्ता से कार्यालय के पत्र शीर्ष पर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित

कर्मचारी है और वह नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / घंटेवार भुगतान/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिबाधित या कमजोर दृष्टि (ख) श्रवण बाधित और (ग) चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग (ड़) बधिर दृष्टिबाधित सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता जैसी अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए हैं । उसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है) दी जाएगी, जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तारीख को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, अशक्त व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद अशक्तता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी ।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ अशक्तता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 29 दिसंबर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 36035/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिए अनुसार होगी।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा ''अपलोड अन्य दस्तावेज'' के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया है ।

(घ) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप / प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति तथा उस अधिनियम/ आदेश, जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो, तथा उस गांव / शहर के नाम का उल्लेख किया गया हो जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया

गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता जैसा भी मामला हो, के आकलन में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी भी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

<u>टिप्पणी</u> : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा ।

(iii) **महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।**

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की <u>आवश्यकता नहीं है</u>। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

" चेतावनी " :

साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की लघु सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है**

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ड.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **महिलाओं के विवाह के मामले में** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में</u>**, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र / दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार / संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तारीख के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध / आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटर्नशिप संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तारीख निर्णायक है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा* ।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
(ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
(ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तारीख होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा

करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है ।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ड.) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते है उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके ।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा ।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ट) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा /साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

निर्धारित प्रोफार्मा

<u>प्रोफार्मा-I</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* की.. जाति/जनजाति* .... के/की हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्रदान की गई है :-

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (आशोधन) आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1986 और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के/की* हैं, जो .... जाति/जनजाति से संबद्ध हैं जिसे .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है, के पिता/माता श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... को......................... द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या* उनका* परिवार साधारणतया ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... में निवास करते/करती* है।

हस्ताक्षर ....

**पदनाम ....

(कार्यालय की मोहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

स्थान.............................

तारीख.............................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें.

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया निवास करते/करती* है" ।
शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है.

**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट# सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
#(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार आमतौर से निवास करता रहा है ।

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

प्रोफार्मा-II

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के/की* हैं, ... समुदाय से संबंधित हैं जिसे दिनांक ....

.... के कार्यालय ज्ञापन सं. .... के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या* उनका परिवार साधारणतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के .... जिले/मंडल* के .... ग्राम/कस्बा* में रहते निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 27 मई, 2013** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों*(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर ....

पदनाम .... $

तारीख..............................

(मोहर)

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का उल्लेख करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में उल्लिखित किया गया है ।

**- समय समय पर यथा संशोधित ।

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया रहते/रहती* हैं." शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है ।

<u>प्रोफार्मा-III</u>

अ.पि.व. के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र
(समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी गांव/कस्बा/शहर .... जिला .... राज्य .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं .... समुदाय से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 8.9.1993 के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36102/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था. की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर : ....

पूरा नाम : ....

पता : ....

प्रोफार्मा - IV

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु रियायत का लाभ लेने के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम ...., जिनकी जन्मतिथि .... है, ने .... से .... तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है।

2. उन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है :

% (क) निम्नलिखित से अन्यथा सुपुर्द कार्य पूरा होने पर

(i) बर्खास्तगी के द्वारा या

(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण निर्मुक्त कर के या

(iii) उनके स्वयं के अनुरोध पर लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना या

(iv) उन्हें ऐसी कार्यमुक्ति की लंबितता रिजर्व होने के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण

% (ग) कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा करने के बाद अविधिमान्यकरण होने पर कार्यमुक्त हुए हैं।

3. वे समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन:नियोजन) नियमावली, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं।

स्थान : ....

तारीख : ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम .... दिनांक .... से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्हें दिनांक .... को उनकी नियुकति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है।

स्थान : ....
तारीख : ....
सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम
मुहर

उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र "ख" प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों (सेवारत कार्मिक) को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा :-

एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध :

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान : ....

तारीख : ....

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

ग. प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम ...., जिनकी जन्मतिथि .... है, ... से थल सेना / वायु सेना / नौसेना में सेवारत हैं ।

2. उन्होंने पहले ही अपनी प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा .... को पूरी कर ली है और अब वे .... तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान : ....

तारीख : ....

सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

मुहर

सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी** निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना --मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रपत्र - **V**

अक्षमता प्रमाण पत्र
(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में
और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं.   दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ______________________
जन्म तिथि ______ ______ ______ आयु ________वर्ष, पुरूष/महिला __________
(दिन / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं.______________स्थायी निवासी मकान नं.________ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट __________ डाकघर __________________ जिला _______________ राज्य _________________, जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मुझे विश्वास है कि :

(क) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- बौनापन
- दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में ....निदान है।

(ग) उन्हें दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) के अनुसार उनके .... (शरीर का अंग) के संबंध में........% (अंकों में) ....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक अक्षमता/बौनापन/दृष्टिबाधिता हैं।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

प्रपत्र - VI

अक्षमता प्रमाण पत्र

(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. .... दिनांक : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म तिथि .... आयु .... वर्ष,

(दिन/ माह/ वर्ष)

पुरूष/महिला .... पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान नं. .... वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट .... डाकघर .... जिला .... राज्य .... , जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और हमें विश्वास है कि :

(क) वे बहुविध विकलांगता से ग्रस्त हैं। अक्षमता संबंधी दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), के अनुसार उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			

	डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), के अनुसार उनकी समस्त स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) वर्ष .... माह के उपरांत .... की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र -VII

अक्षमता प्रमाण पत्र

(फार्म V और VI में उल्लिखित मामलों से भिन्न मामलों में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ____________________ ____________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _______ वर्ष, (दिन/ माह/वर्ष)

पुरूष/महिला ______ पंजीकरण सं.___________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट_________________ डाकघर __________________ जिला________________ राज्य __________________ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मुझे विश्वास है कि वह .... अक्षमता से ग्रस्त हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता का प्रतिशत में आकलन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (%**

				में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक व्याधि			
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			

	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया जो लागू न हो उन अक्षमताओं को काट दें)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का पुन आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) ...... वर्ष ....माह के उपरांत पुनर्आकलन की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंखें

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा (मुहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।"

टिप्पणी : मूल नियम भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 489 दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

<u>प्रोफार्मा-VI</u>

आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म
(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय का नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं :

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) श्री/श्रीमती/कु. .... दिनांक .... से .... कार्यालय/विभाग में वास्तव में .... के स्थायी पद पर हैं।

*(ख) श्री/श्रीमती/कु. .... दिनांक .... से .... कार्यालय/विभाग में .... पद पर केन्द्र सरकार के अधीन अस्थायी सेवा में नियमित आधार पर सतत रूप से अस्थाई सेवा में हैं।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
मंत्रालय/कार्यालय.......................
पता ....
कार्यालय मुहर ....

स्थान: ....
दिनांक : ....

प्रपत्र-VII

अनुभव के दावे के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

फार्म-I

अनुभव प्रमाण-पत्र

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

टेलीफोन नं. ....

सं. .... फैक्स नं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय के कर्मचारी थे/हैं और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई ड्यूटी निम्नानुसार हैं :-

धारित पद का नाम	दिन/ माह/ वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक	कुल अवधि दिन/ माह/वर्ष	नियुक्ति का स्वरूप - स्थायी, नियमित, अस्थायी, अंशकालिक, संविदा आधार पर, अतिथि, मानद आदि	अनुभव का विभाग/ विशिष्टता/ क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मासिक पारिश्रमिक (कुल)	प्रत्येक पद में की गई ड्यूटी/प्राप्त अनुभव (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग पृष्ठ पर विवरण दें) (चिकित्सकीय पदों के मामले में, कृपया विशिष्टता वाले क्षेत्र का उल्लेख करें)	तैनाती का स्थान	नियुक्ति का स्वरूप - क) प्रबंधकीय (अवर/मध्यवर्ती/वरिष्ठ *) ख) पर्यवेक्षी ग) प्रचालन संबंधी घ) यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो कृपया कार्य का स्वरूप बताएं (*जो लागू न हो उसे काट दें)	टिप्पणी, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े सही हैं तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड पर आधारित हैं।

हस्ताक्षर ....

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म - II

अनुभव प्रमाण-पत्र

(डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम के दौरान अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (पंजीकरण सं. ....) दिनांक .... की अधिसूचना सं. .... के तहत .... (पाठ्यक्रम का नाम) परीक्षा में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी)/डॉक्टर इन मेडिसिन (डीएम)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के छात्र/छात्रा थे। डॉ. .... को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त इस कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा .... (विशेषज्ञता का नाम) में डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. की डिग्री प्रदान की गई ।

टिप्पणी - I : प्राप्त अनुभव वैध अध्यापन अनुभव (केवल चिकित्सीय अध्यापन पदों के लिए) के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

टिप्पणी - II : चिकित्सा संस्था/कालेज जहां से अनुभव प्राप्त किया गया है, संबंधित चिकित्सा प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त है (केवल चिकित्सीय पदों हेतु)।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म-III

अनुभव प्रमाण-पत्र
(अधिवक्ताओं को बार संबंधी अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....
फैक्स सं. ....

संगठन का नाम
संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... (पंजीकरण सं. ....) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...., ... स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ सत्र न्यायालय/उच्च न्यायायलय/सर्वोच्च न्यायालय में ....से .... तक फौजदारी/दीवानी मामलों में, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे/रही हैं/कर चुके/चुकी हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का नाम
सक्षम प्राधिकारी की मुहर

प्रपत्र-IX

.... भारत सरकार

(प्रमाण -पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता)

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या .... दिनांक :.........................

वित्तीय वर्ष .... के मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती/ कुमारी... पुत्र/ पुत्री/पत्नी .... ग्राम कस्बा .... पोस्ट आफिस .... तहसील .... जिला.. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....पिन कोड....................................के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख रूपये (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है । इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति* नहीं है :-

I. 5 (पांच) एकड़ अथवा इससे ऊपर कृषि योग्य भूमि ।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट ।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/ श्रीमती / कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यताप्राप्त नही हैं ।

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

नाम ....

पदनाम ....

*नोट-1 : आय में सभी स्रोत शामिल है जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि ।

**नोट-2 : इस प्रयोजन के लिए परिवार में सभी व्यक्ति शामिल है; आरक्षण लाभार्थी,उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई-बहन तथा उसका पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु वाले उसके बच्चे ।

***नोट-3 : ई डब्ल्यू एस स्थिति का निर्धारण करने हेतु परीक्षण करते समय 'परिवार' की विभिन्न जगहों अथवा विभिन्न शहरों में उपलब्ध जमीन अथवा संपत्ति को एक साथ जोड़ा गया ।

यदि आयोग किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार (रों) के साथ मिलकर उपरोक्त खंड (i) से (xiii) में सूचीबद्ध कोई गलत कार्य करने या उसे बढ़ावा देने का दोषी पाता है तो उनके विरूद्ध खंड (xiv) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

महत्वपूर्ण
ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तारीख 12.11.2020 को 23.59 बजे तक है ।
पूर्ण रूप से भर कर ऑन लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तारीख 13.11.2020 को 23.59 बजे तक है ।
सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख होगी । आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कम्प्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है ।
साक्षात्कार की तारीख, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी ।

टिप्पणी :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ऑन लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को **न** लिखें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।

ख) मद सं 1* के सामने दर्शाई गई आयु सीमा अ.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और अ.जा. उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय आयु सीमा है । सभी मदों के सामने दर्शाई गई आयु

सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है । अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित "चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" के संगत पैरा देखें ।

(ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो । यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता / करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

(घ) दिव्यांग उम्मीदवार (पी.एच.) अथवा अक्षम उम्मीदवार, रिक्तियों के विवरण में विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अत: शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार (पी.एच.) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(iii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो और पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों ।

(iv) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होगीं जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो और पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

(ड़) **<u>मुख्यालय</u>** : पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी ।

(च) **<u>परिवीक्षा</u>** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

चयन द्‌वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यत: या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर

आया है। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्‌ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्‌वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे ।

2. आयु सीमाएं : इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश **देखें।**

3. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यत: पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हैं। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी -I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी -II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) "वांछनीय योग्यता (डी.क्यू.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है"।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ड.) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षण आयोजित करके।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण	
(i)	चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षण के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./आिर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा./शा.वि.-40 अंक होगा।
(ii)	जिन मामलों में भर्ती परीक्षण (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात 'भर्ती परीक्षण' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क :

(ङ) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 25/- रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी ।

(च) अ.जा. / अ.ज.जा. / शारीरिक विकलांग / किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा । सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा ।

(छ) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा । इस प्रकार के निरसन के विरूद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ज) **एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.**

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 मास से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तारीख को 5 वर्ष आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई

दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा,

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, बंबई

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है । (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष तथा आयु में 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनके संबंधित श्रेणितयों से है । उसी प्रकार अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है । जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है । यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवहार्य होगा जिन्होंने केन्द्र सरकार में तीन वर्षों की लगातार सेवा की हो तथा उन पद पर कार्य कर रहे हों जो समकक्ष अथवा संबद्ध संवर्ग में

हो तथा तहां संबद्ध स्थापित किया जा सके कि उस विशेष पद पर पहले ही दी गई सेवा उस पद की ड्यूटियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में लाभकारी होगा जिसकी भर्ती की जा रही हो । इस संबंध में आयोग का निर्णय मान्य होगा । वे उम्मीदवार जो इस पैरे के अंतर्गत केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के आधार पर आयु में छूट का दावा करते हैं उन्हें इस **विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के बाद** अपने नियोक्ता से कार्यालय के पत्र शीर्ष पर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केन्द्र सरकार का नियमित कर्मचारी है और वह नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन / घंटेवार भुगतान/संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) शारीरिक विकलांग (पी.एच.) व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट :

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिबाधित या कमजोर दृष्टि (ख) श्रवण बाधित और (ग) चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, एसिड हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग (ड़) बधिर दृष्टिबाधित सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता जैसी अशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए हैं । उसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है) दी जाएगी, जो इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि अंतिम तारीख को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अशक्त व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, अशक्त व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद अशक्तता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी ।

(iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।

(v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ अशक्तता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा का. एवं प्रशि. वि. के दिनांक 29 दिसंबर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 36035/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिए अनुसार होगी।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यत: वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा "अपलोड अन्य दस्तावेज" के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए।

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां

संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया है ।

(घ) दावा किए गए सम्पूर्ण अनुभव के लिए संगठन (संगठनों)/ विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप / प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ड.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति तथा उस अधिनियम/ आदेश, जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो, तथा उस गांव / शहर के नाम का उल्लेख किया गया हो जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक

तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, उक्त पद के लिए आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता जैसा भी मामला हो, के आकलन में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी भी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा ।

(iii) **महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा ।**

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

" चेतावनी " :

साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की लघु सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- **आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।**
- **केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है**

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोज़गार की अवधि (तारीख, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का उल्लेख किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ.) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का उल्लेख किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यत: निवास कर रहा है ।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तारीख को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तारीख निर्णायक तारीख मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने / प्रमस्तिष्कीय / दृष्टि / श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **महिलाओं के विवाह के मामले में** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) **<u>महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में</u> -** पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) **<u>तलाकशुदा महिलाओं के मामले में</u> -** तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिशनर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) **<u>अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में</u>**, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र / दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार / संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तारीख के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध / आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक वेतन/ घंटेवार भुगतान / संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटर्नशिप संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तारीख निर्णायक है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : *उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा* ।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा ।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
(ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
(घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
(ड) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा

(च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।

(ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -

(i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, अथवा

(ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

- आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और

(iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/ घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तारीख होगी।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है ।

(घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

(ङ.) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्ते पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते है उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है । ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके ।

(च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा ।

(ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।

(ट) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा /साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरूष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

निर्धारित प्रोफार्मा

<u>प्रोफार्मा-I</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* की.. जाति/जनजाति* .... के/की हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में मान्यता प्रदान की गई है :-

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (आशोधन) आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970; उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971; अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1986 और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, द्वारा यथा संशोधित

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश 1962

@ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968

@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश 1989

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवर्जन कर चुके हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के/की* हैं, जो .... जाति/जनजाति से संबद्ध हैं जिसे .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है, के पिता/माता श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... को......................... द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या* उनका* परिवार साधारणतया ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... में निवास करते/करती* है।

हस्ताक्षर ....

**पदनाम ....

(कार्यालय की मोहर सहित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

स्थान.............................

तारीख.............................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें.

@ कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया निवास करते/करती* है" ।
शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है.

**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट# सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
#(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का उप प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार आमतौर से निवास करता रहा है ।

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

<u>प्रोफार्मा-।।</u>

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... सुपुत्र/सुपुत्री* श्री .... जो ग्राम/कस्बा* .... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .... के/की* हैं, ... समुदाय से संबंधित हैं जिसे दिनांक .... के कार्यालय ज्ञापन सं. .... के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/या* उनका परिवार साधारणतया .... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के .... जिले/मंडल* के .... ग्राम/कस्बा* में रहते निवास करते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण), दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) और दिनांक 27 मई, 2013** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों*(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर ....

पदनाम .... $

तारीख..............................

(मोहर)

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का उल्लेख करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में उल्लिखित किया गया है ।

**- समय समय पर यथा संशोधित ।

$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची वही होगी जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त "साधारणतया रहते/रहती* हैं." शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है ।

<u>प्रोफार्मा-III</u>

अ.पि.व. के उम्मीदवार द्‌वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र
(समुदाय प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी गांव/कस्बा/शहर .... जिला .... राज्य .... एतदद्‌वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं .... समुदाय से संबंधित हूं जिसे भारत सरकार द्‌वारा दिनांक 8.9.1993 के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36102/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं दिनांक 8.9.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 9 मार्च, 2004 के का.ज्ञा. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004-स्था. की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं।

हस्ताक्षर : ....

पूरा नाम : ....

पता : ....

<u>प्रोफार्मा - IV</u>

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आयु रियायत का लाभ लेने के लिए सेवारत/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

(क) कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम ...., जिनकी जन्मतिथि .... है, ने .... से .... तक थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवा की है।

2. उन्हें सैन्य सेवा से कार्यमुक्त कर दिया गया है :

% (क) निम्नलिखित से अन्यथा सुपुर्द कार्य पूरा होने पर

(i) बर्खास्तगी के द्वारा या

(ii) कदाचार या अकुशलता के कारण निर्मुक्त कर के या

(iii) उनके स्वयं के अनुरोध पर लेकिन अपनी पेंशन अर्जित किए बिना या

(iv) उन्हें ऐसी कार्यमुक्ति की लंबितता रिजर्व होने के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है।

% ख) वे सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अक्षमता के कारण

% (ग) कम से कम पांच वर्ष की सैन्य सेवा करने के बाद अविधिमान्यकरण होने पर कार्यमुक्त हुए हैं।

3. वे समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुन:नियोजन) नियमावली, 1979 की परिभाषा के अंतर्गत कवर होते हैं।

स्थान : ....

तारीख : ....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम**

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म

(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम .... दिनांक .... से थल सेना/नौसेना/वायु सेना में सेवारत हैं।

2. उन्हें दिनांक .... को उनकी नियुकति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

3. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है।

स्थान : ....

तारीख : ....

सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

मुहर

उपर्युक्तानुसार प्रमाण पत्र "ख" प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों (सेवारत कार्मिक) को निम्नलिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा :-

एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त होने वाले सेवारत सशस्त्र बल कार्मिकों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध :

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो मेरी यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान : ....

तारीख : ....

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

ग. प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागू होगा जिन्होंने अपनी सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पहले ही पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि सं. .... रैंक .... नाम ...., जिनकी जन्मतिथि .... है, ... से थल सेना / वायु सेना / नौसेना में सेवारत हैं ।

2. उन्होंने पहले ही अपनी प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा .... को पूरी कर ली है और अब वे .... तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. सिविल रोज़गार हेतु उनके द्वारा आवेदन करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा उनका चयन हो जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान : ....

तारीख : ....

सक्षम प्राधिकारी** के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम

मुहर

सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी** निम्नलिखित हैं:-

(क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के मामले में :-

थल सेना --मिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना - कार्मिक निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना - कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे.सी.ओ./ओ.आर. तथा नौसेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले मे :-

थल सेना --- विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना --- बी.ए.बी.एस., मुम्बई।

वायु सेना ---- वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

प्रपत्र - **V**

अक्षमता प्रमाण पत्र
(अंगच्छेदन या अंगों के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघात के मामले में
और दृष्टिहीन व्यक्तियों के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ______________________ जन्म तिथि ______ ______ ______ आयु _______वर्ष, पुरूष/महिला _________
(दिन / माह / वर्ष)
पंजीकरण सं.______________स्थायी निवासी मकान नं._________ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट _________ डाकघर _________________ जिला _______________ राज्य ________________, जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मुझे विश्वास है कि :

(ख) वह निम्न रोग से ग्रस्त हैं:

- चलने में असमर्थ
- बौनापन
- दृष्टिहीन

(कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

(ख) उनके मामले में ....निदान है।

(ग) उन्हें दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) के अनुसार उनके .... (शरीर का अंग) के संबंध में........% (अंकों में) ....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक अक्षमता/बौनापन/दृष्टिबाधिता हैं।

2. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

प्रपत्र - **VI**

अक्षमता प्रमाण पत्र

(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. .... दिनांक : ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... जन्म तिथि .... आयु .... वर्ष,

(दिन/ माह/ वर्ष)

पुरूष/महिला .... पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान नं. .... वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट .... डाकघर .... जिला .... राज्य .... , जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और हमें विश्वास है कि :

(ख) वे बहुविध विकलांगता से ग्रस्त हैं। अक्षमता संबंधी दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), के अनुसार उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है :

क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (% में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
6.	तेजाबी हमला पीड़ित			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधित	£		
11.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
13.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			

	डिजॉर्डर			
15.	मानसिक व्याधि			
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
18.	पार्किंसन्स रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए, दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों की सं. .... और जारी करने की तारीख का (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए), के अनुसार उनकी समस्त स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता निम्नानुसार है:-

आंकड़ों में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) वर्ष .... माह के उपरांत .... की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंख

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र -VII

अक्षमता प्रमाण पत्र

(फार्म V और VI में उल्लिखित मामलों से भिन्न मामलों में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

अक्षम व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का साक्ष्यांकित हाल ही का फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण-पत्र सं. दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ____________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ____________________ ____________________ जन्म तिथि ____ ____ ____ आयु _______ वर्ष, (दिन/ माह/वर्ष)

पुरूष/महिला ______ पंजीकरण सं.___________ स्थायी निवासी मकान नं. ___________ वार्ड/ग्राम/स्ट्रीट_________________ डाकघर __________________ जिला________________ राज्य __________________ और जिनका फोटोग्राफ ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और मुझे विश्वास है कि वह .... अक्षमता से ग्रस्त हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/अक्षमता का प्रतिशत में आकलन किया गया है और नीचे तालिका में संगत अक्षमता के सामने दर्शाया गया है:

क्रम सं.	**अशक्तता**	**शरीर का प्रभावित अंग**	**निदान**	**स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक अक्षमता (%**

				में)
1.	चलने में असमर्थ	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पॉल्सी)			
5.	तेजाबी हमला पीड़ित			
6.	कम दृष्टि	#		
7.	बधिर	€		
8.	श्रवण बाधित	€		
9.	वाक एवं भाषा संबंधी अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी)			
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी)			
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर			
13.	मानसिक व्याधि			
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक			

	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)			
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस			
16.	पार्किंसन्स रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया जो लागू न हो उन अक्षमताओं को काट दें)

2. इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/स्थिति में सुधार होने/सुधार न होने की संभावना है।

3. अक्षमता का पुन आकलन :

(i) आवश्यक नहीं है,

अथवा

(ii) ...... वर्ष ....माह के उपरांत पुनर्आकलन की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र .... तक के लिए वैध रहेगा।

(दिन) (माह) (वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

एक आंख/दोनों आंखें

£ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

<table><tr><td>उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया गया</td><td>प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा (मुहर सहित)}</td></tr></table>

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा।"

टिप्पणी : मूल नियम भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 489 दिनांक 15.06.2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

<u>प्रोफार्मा-VI</u>

आयु में छूट का दावा करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म
(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय का नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी है और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निम्न कार्य किए गए हैं :

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) श्री/श्रीमती/कु. .... दिनांक .... से .... कार्यालय/विभाग में वास्तव में .... के स्थायी पद पर हैं।

*(ख) श्री/श्रीमती/कु. .... दिनांक .... से .... कार्यालय/विभाग में .... पद पर केन्द्र सरकार के अधीन अस्थायी सेवा में नियमित आधार पर सतत रूप से अस्थाई सेवा में हैं।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
मंत्रालय/कार्यालय.......................
पता ....
कार्यालय मुहर ....

स्थान: ....
दिनांक : ....

प्रपत्र-VII

अनुभव के दावे के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म

फार्म-I

अनुभव प्रमाण-पत्र

(संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हेड)

टेलीफोन नं. ....

सं. .... फैक्स नं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... इस संगठन/विभाग/मंत्रालय के कर्मचारी थे/हैं और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई ड्यूटी निम्नानुसार हैं :-

धारित पद का नाम	दिन/ माह/ वर्ष से	दिन/माह/वर्ष तक	कुल अवधि दिन/ माह/वर्ष	नियुक्ति का स्वरूप - स्थायी, नियमित, अस्थायी, अंशकालिक, संविदा आधार पर, अतिथि, मानद आदि	अनुभव का विभाग/ विशिष्टता/ क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मासिक पारिश्रमिक (कुल)	प्रत्येक पद में की गई ड्यूटी/प्राप्त अनुभव (यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग पृष्ठ पर विवरण दें) (चिकित्सकीय पदों के मामले में, कृपया विशिष्टता वाले क्षेत्र का उल्लेख करें)	तैनाती का स्थान	नियुक्ति का स्वरूप - ख) प्रबंधकीय (अवर/मध्यवर्ती/वरिष्ठ *) ख) पर्यवेक्षी ग) प्रचालन संबंधी घ) यदि उपर्युक्त में से कोई नहीं है तो कृपया कार्य का स्वरूप बताएं (*जो लागू न हो उसे काट दें)	टिप्पणी, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े सही हैं तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा रिकार्ड पर आधारित हैं।

हस्ताक्षर ....

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म - II

अनुभव प्रमाण-पत्र

(डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. पाठ्यक्रम के दौरान अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....

फैक्स सं. ....

संगठन का नाम

संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (पंजीकरण सं. ....) दिनांक .... की अधिसूचना सं. .... के तहत .... (पाठ्यक्रम का नाम) परीक्षा में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी)/डॉक्टर इन मेडिसिन (डीएम)/मेजिस्टर चिरूरगिए (एम.सीएच.) के छात्र/छात्रा थे। डॉ. .... को भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त इस कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा .... (विशेषज्ञता का नाम) में डी.एन.बी./डी.एम./एम.सीएच. की डिग्री प्रदान की गई ।

टिप्पणी - I : प्राप्त अनुभव वैध अध्यापन अनुभव (केवल चिकित्सीय अध्यापन पदों के लिए) के रूप में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

टिप्पणी - II : चिकित्सा संस्था/कालेज जहां से अनुभव प्राप्त किया गया है, संबंधित चिकित्सा प्राधिकारण द्वारा मान्यता प्राप्त है (केवल चिकित्सीय पदों हेतु)।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य तथा आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी का नाम

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

फार्म-III

अनुभव प्रमाण-पत्र
(अधिवक्ताओं को बार संबंधी अनुभव के लिए)

संस्थान/जारी करने वाले प्राधिकरण का पत्र शीर्ष (लेटर हैड)

दूरभाष सं. ....
फैक्स सं. ....

संगठन का नाम
संगठन का पता

दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .... (पंजीकरण सं. ....) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...., ... स्थित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ सत्र न्यायालय/उच्च न्यायायलय/सर्वोच्च न्यायालय में ....से .... तक फौजदारी/दीवानी मामलों में, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे/रही हैं/कर चुके/चुकी हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य और आंकड़े सही है तथा हमारे संगठन/विभाग/मंत्रालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों पर आधारित है।

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी का नाम
सक्षम प्राधिकारी की मुहर

प्रपत्र-IX

.... भारत सरकार

(प्रमाण -पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता)

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या .... दिनांक :.........................

वित्तीय वर्ष .... के मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती/ कुमारी... पुत्र/ पुत्री/पत्नी .... ग्राम कस्बा .... पोस्ट आफिस .... तहसील .... जिला... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....पिन कोड....................................के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख रूपये (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है । इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति* नहीं है :-

V. 5 (पांच) एकड़ अथवा इससे ऊपर कृषि योग्य भूमि ।

VI. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट ।

VII. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

VIII. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/ श्रीमती / कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यताप्राप्त नही हैं ।

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

नाम ....

पदनाम ....

*नोट-1 : आय में सभी स्रोत शामिल है जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि ।

**नोट-2 : इस प्रयोजन के लिए परिवार में सभी व्यक्ति शामिल है; आरक्षण लाभार्थी,उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई-बहन तथा उसका पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु वाले उसके बच्चे ।

***नोट-3 : ई डब्ल्यू एस स्थिति का निर्धारण करने हेतु परीक्षण करते समय 'परिवार' की विभिन्न जगहों अथवा विभिन्न शहरों में उपलब्ध जमीन अथवा संपत्ति को एक साथ जोड़ा गया ।

यदि आयोग किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार (रों) के साथ मिलकर उपरोक्त खंड (i) से (xiii) में सूचीबद्ध कोई गलत कार्य करने या उसे बढ़ावा देने का दोषी पाता है तो उनके विरूद्ध खंड (xiv) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।